# न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

**एस ए आर अपील 58 आर 15/07–08**

सुशीला टोप्पो वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

बंधु कच्छप प्रतिवादी

---

**आदेश**

13/
18.06.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 74/07–08 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 19.11.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

| ग्राम | खाता | प्लाट | रकबा |
|---|---|---|---|
| कोकर | 144 | 1501 | 15 डिसमिल |

अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी एवं अपीलकर्ता के बीच विवादित जमीन की बिक्री हेतु एकरारनामा हुआ था परन्तु प्रतिवादी बाद में जमीन विक्रय करने से मुकर गये। प्रतिवादी ने 27.4.99 को 15 डिसमिल एवं हिनिदिया कच्छप ने 16.12.1994 को 3.4 छटॉक जमीन के बिक्री हेतु अपीलकर्ता के साथ एकरारनामा किया एवं दस हजार रुपया भी प्राप्त किया। तत्पश्चात अपीलकर्ता को दखल दे दिया। परन्तु बाद में जमीन बिक्री करने से मुकर गये। इस संबंध में अनुमति वाद संख्या 558/07 उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर , रॉची के न्यायालय में विचाराधीन है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत एक अन्य वाद श्रीमती संगीता लाल, कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है तथा अनुमति आवेदन सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि इस प्रकार के मामले धारा 71 ए की परिधि में नहीं आते हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों का ही उल्लेख किया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जमीन की बिक्री हेतु एकरारनामा हुआ था परन्तु वर्तमान में प्रतिवादी विक्रय हेतु तैयार नहीं हैं। अतः अपीलकर्ता को वैधानिक रुप से भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अलग अलग 1994 और 1999 में एकरारनामा किया था। लेकिन इसके पश्चात न तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति लिया गया और न ही निबंधित पट्टा द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया गया है। इस भूमि पर अपीलकर्ता का अवैध और जबरन दखल है। ऐसी स्थिति में भूमि का हस्तांतरण अवैध और अनियमित है।

अभिलेखों में उपलब्ध प्रमाणों और उपर लिखित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इसलिए निम्न न्यायालय का निर्णय बिलकुल सही है और इसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं है। अपील अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 30.6.2008 तक दखल दिलाने हेतु अंचल अधिकारी, शहर को निर्देश भेजें और निम्न न्यायालय को भी अवगत करावें।

दिनांकः— 18.06.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता,
रॉची।